

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 584 / 2012

संस्थापन दिनांक 30.07.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-लुल्ली उर्फ राजवीर पुत्र कालीचरण धोबी, उम्र 20
साल, निवासी ग्राम माहो थाना मालनपुर जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-ख)क आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.06.12 को 15:00 बजे लहचूरा रोड नीम के पेड़ के पास मालनपुर में अपने आधिपत्य में एक 315बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड 315बोर का अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.12 को ए.एस.आई. राकेश प्रसाद अ0सा04 मय फोर्स शासकीय वाहन से मालनपुर में कस्बा गश्त हेतु गए थे तब जयें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माहो का लल्ली उर्फ राजवीर पुत्र कालीचरण धोबी लहचूरा रोड पर नीम के पेड़ के पास किसी वारदात की नीयत से खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचने पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा तब फोर्स की मदद से आरोपी को घेरकर पकड़ा व तलाशी लेने पर आरोपी कमर में बांये तरफ एक 315 बोर का कट्टा लोडेड हालत में खुरसे मिला कट्टा खोलकर चैक किया तो चेम्बर में एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड भी लगा था। आरोपी से कट्टा व राउण्ड रखने बाबत लाइसेन्स पूछने पर आरोपी ने न होना बताया। तत्पश्चात कट्टा व राउण्ड को समक्ष गवाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 बनाया तथा आरोपी को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया तत्पश्चात मय माल व आरोपी के थाना वापिस आकर थाना मालनपुर में अप0क0 85/12 की एफ.आई.आर. प्र0पी-5 पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 09.06.12 को 15:00 बजे लहचूरा रोड नीम के पेड़ के पास मालनपुर में अपने आधिपत्य में एक 315बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड 315बोर का अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी राकेश प्रसाद अ0सा04 का कथन है कि वह दिनांक 09.06.12 को थाना मालनपुर में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था। दौराने गश्त जर्ने मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माहो का लल्ली उर्फ राजवीर धोबी कट्टा लिए किसी वारदात की नीयत से लहचूरा रोड पर पर नीम के पास खड़ा है तब मय फोर्स वहां पहुंचा तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेरकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम लुल्ली उर्फ राजवीर पुत्र कालीचरण धोबी निवासी माहो का होना बताया। आरोपी की जामा तलाशी लेने पर आरोपी कमर में बांयी तरफ 315 बोर का लोडेड कट्टा खुरसे मिला कट्टा को खोलकर देखा तो चेम्बर में एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड लगा था कट्टा व राउण्ड रखने बाबत लाइसेन्स चाहा तो आरोपी ने न होना बताया। कट्टा व राउण्ड को समक्ष गवाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया जो प्र0पी-1 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-2 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापिसी पर प्रकरण कायम कर विवेचना हेतु एस.आई. वी0वी0खरे को सुपुर्द किया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था जो प्र0पी-5 है जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वापिसी रोजनामचा सान्हा प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से कट्टा आर्टिकल ए-1 और कारतूस आर्टिकल ए-2 जप्त हुए थे।
6. कमल माहौर अ0सा02 का कथन है कि वह दिनांक 09.06.12 को ए.एस.आई. राकेश प्रसाद को जानकारी मिली कि लुल्ली उर्फ राजवीर लहचूरा रोड पर कोई वारदात करने के लिए खड़ा है फिर ए.एस.आई. के साथ वह, सत्यवीर, एवं आरक्षक नरेन्द्र घटनास्थल पर पहुंचे तथा ए.एस.आई. ने फोर्स की मदद से आरोपी को पकड़ा तो आरोपी के पास से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक राउण्ड मिला। दरोगाजी ने आरोपी से लाइसेन्स पूछा तो आरोपी ने न होना बताया। मौके पर कट्टा को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 बनाया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

7. नवाबसिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की 3-4 माह पहले पुलिस ने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 के ए स ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी लल्ली से उसके सामने पुलिस ने एक 315बोर का कट्टा जप्त किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। घटना के स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का कोई समर्थन नहीं किया गया है।
8. साक्षी राजकिशोर अ0सा05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 11.06.12 को पुलिस लाइन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना मालनपुर के अप0क0 85/12 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक 315 बोर का देशी कट्टा व एक 315 बोर के जिन्दा राउण्ड सफेद कपड़े में सीलबंद जांच हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त कट्टा की संपूर्ण लंबाई 9.5 इंच तथा बैरल की लंबाई 5.8 इंच तथा ग्रिप की लंबाई 3 इंच थी ग्रिप लकड़ी का लगा हुआ था बैरल की मजल पर साइड लगी हुई थी। उक्त कट्टा का एक्शन चैक करने पर कट्टा चालू हालत में था। उक्त कट्टा से फायर किया जा सकता था व 315 बोर का जिन्दा राउण्ड जिसकी पेंदी पर 8 एम.एम.के.एफ. अंकित था। उक्त राउण्ड को फायर किया जा सकता था। उक्त रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी थी जो प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
9. साक्षी राजू अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 27.06.12 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को एस0पी0 प्रतिवेदन एवं आरक्षक नं0 259 देवेन्द्रसिंह द्वारा थाना मालनपुर के द्वारा अप0क0 85/12 से संबंधित केस डायरी एवं अभियुक्त लल्ली उर्फ राजवीर पुत्र कालीचरण धोबी निवासी ग्राम माहो के आधिपत्य से एक कट्टा 315 बोर का व एक जिन्दा राउण्ड 315 बोर का एवं केस डायरी डी0एम0 के समक्ष प्रस्तुत किए एवं एस.पी. प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अवलोकन उपरांत उक्त अभियुक्त के पास आयुध रखने का कोई वैध लाइसेन्स न होने से अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जो प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन डी0एम0 अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। चूंकि उसने डी0एम0 के अधीनस्थ रहकर कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।
10. कमलसिंह अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उसने भी आरोपी को पकड़ा था जिसका लोप धारा 161 द.प्र.स. के कथन में हुआ है परन्तु उस पर बचाव पक्ष द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं कराया गया है अतः धारा 145 साक्ष्य अधिनियम के अधीन उक्त तथ्य ग्राह्य नहीं है। राकेश अ0सा04 ने भी पैरा 3 में स्वीकार किया है कि उसके अलावा कमलसिंह अ0सा02 ने भी आरोपी को घेरकर पकड़ा था। अतः दोनों साक्षीगण के कथन की परस्पर संपुष्टि होती है। कमलसिंह अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 पर मौके पर ही उसने हस्ताक्षर किए थे। राकेश अ0सा04 ने भी पैरा 3 में

कथन किया है कि कमलसिंह अ0सा02 ने मौके पर ही हस्ताक्षर किए थे। अतः जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही घटनास्थल पर ही निष्पादित किया जाना सिद्ध होता है।

11. राकेश अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जप्तीपत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 में रोजनामचा सान्हा नंबर नहीं लिखा है यह भी स्वीकार किया है कि रवानगी रोजनामचा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। उक्त दोनों दस्तावेजों में रोजनामचा सान्हा भी अंकित नहीं है परन्तु एफ.आई.आर. प्र0पी-5 में पद क्रमांक 3अ में वापसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक 319 का स्पष्ट उल्लेख है व उक्त दस्तावेज भी राकेश अ0सा04 द्वारा ही बनाया गया है जिससे उक्त तथ्य तात्त्विक नहीं रहता है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-2 पर रोजनामचा सान्हा का उल्लेख नहीं है कि क्योंकि एफ.आई.आर. प्र0पी-5 में सान्हा क्रमांक उल्लिखित कर दिया गया है।
12. राकेश अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में कथन किया है कि उसे मुखबिर ने आरोपी का हुलिया बताया था जिससे उसने आरोपी को पहचान लिया था और पैरा 3 में कथन किया है कि वह आरोपी को पहले से नहीं जानता था। प्र0पी-5 में मुखबिर द्वारा हुलिया बताये जाने का लोप है जिसका कारण यह साक्षी बताने में असमर्थ रहा है। लेकिन एफ.आई.आर. प्र0पी-5 में आरोपी का नाम ज्ञात होना बताया है और घटनास्थल पर पहुंचने पर आरोपी के भागने का प्रयास करना बताया है। घटनास्थल पर अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं बतायी गयी है। अतः जबकि अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हो और आरोपी द्वारा भागने का प्रयास किया गया हो तब आरोपी की पूर्व से पहचान न होने पर भी उसे पकड़ने का प्रयास उसके आचरण को देखकर अस्वाभाविक नहीं है।
13. राजकिशोर अ0सा05 ने पैरा 2 में स्वीकार किया है कि राउण्ड आर्टिकल ए-2 लाइसेन्सधारियों से ही प्राप्त होता है। वर्तमान मामले में आरोपी ने आयुध अनुज्ञा पेश नहीं की है। अतः आयुध आर्टिकल ए-2 बिना अनुज्ञा के ही धारित किया जाना प्रमाणित होता है।
14. राजकिशोर अ0सा05 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने कट्टा व राउण्ड फायर करके चैक नहीं किया परन्तु उसका स्पष्टीकरण दिया है कि उसने डमी राउण्ड चैक किया है उक्त साक्षी विशेषज्ञ साक्षी है। अतः एक्शन के आधार पर उसके द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट अविश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है।
15. राजू अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि जिला दण्डाधिकारी के समक्ष सीलबंद कट्टा प्राप्त हुआ था और उसके समक्ष कट्टे की जांच करवाना स्वीकार किया है। अतः विवेकपूर्ण रूप से अभियोजन स्वीकृति प्र0पी-4 दी जाना प्रमाणित होता है।
16. प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी नवाब अ0सा01 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है परन्तु पुलिस साक्षीगण राकेश अ0सा04 व साक्षी कमल अ0सा02 ने घटना के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उपरोक्तानुसार विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत की है जिनके कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी आर्टिकल ए-1 व ए-2 के आयुध जप्त होना प्रमाणित होते हैं जो राजकिशोर अ0सा05 की साक्ष्य से आयुध की श्रेणी में आना स्पष्ट होते हैं। राजू अ0सा03 के कथन से अभियोजन स्वीकृति प्र0पी-4 भी सपष्ट रूप से

प्रमाणित हुई है। अतः अभियोजन विचारणीय प्रश्न पर अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहता है। अतः यह सिद्ध होता है कि आरोपी ने दिनांक 09.06.12 को 15:00 बजे लहचूरा रोड नीम के पेड़ के पास मालनपुर में अपने आधिपत्य में एक 315बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड 315बोर का अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा जिसको रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेन्स नहीं था।

17. परिणामतः आरोपी को धारा धारा 25(1-ख)क आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
18. आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।
19. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ऐसे आयुध धारण किये हैं जिनकी अनुज्ञप्ति आवश्यक है। उक्त आयुध के अवैधानिक उपयोग से जनहानि भी होना संभाव्य थी। अतः आरोपी ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। अतः आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत न होने से प्रदान नहीं किया जा रहा है।
20. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:

21. आरोपी के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा आरोपी को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया है और व्यक्त किया गया है कि आरोपी अत्यधिक गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसके आय अर्जन के कोई स्रोत नहीं है परन्तु न्यूनतम से कम दण्ड देने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है।
22. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी को धारा धारा 25(1-ख)क आयुध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास व सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड जमा किए जाने के व्यतिक्रम की दशा 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।
23. प्रकरण में आरोपी दिनांक 10.06.12 से 20.10.12 तक और दिनांक 09.02.16 से आज दिनांक 21.07.16 कुल 10 माह तीन दिन की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा है। अतः धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये और निरोध में बितायी गयी अवधि मूल सजा में समायोजित की जाये।
24. प्रकरण में जप्त आयुध अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0